



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० ८बी/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ०सी०/२५

दिनांक : 14.08.2019

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक-08.08.2019 की कार्यवाही (REC Agenda item 40.8-U.P.)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक 08.08.2019 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक 08.08.2019 की कार्यवाही (REC Agenda Item 40.8-U.P.) में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The State Government should submit undertaking along with the detailed estimate for raising of compensatory afforestation over 1295 ha. non-forest land and enrichment plantation as required along with KML files, Geo-referenced maps, toposheets and site suitability certificates of the selected site from concerned DFO's.

भवदीय,

(के०के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, उ० प्र०।
3. अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के०के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)